छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय रायपुर

क्रमांक 3557 /अ.आ./नि.शा./13 रायपुर, दिनांक 03/10/2013

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
संभाग-1/2/3/4/विद्युत संभाग रायपुर/
राजधानी परियोजना संभाग-I/II रायपुर /दुर्ग/परि. संभाग दुर्ग/
बिलासपुर/ कोरबा/ राजनांदगॉव /रायगढ़/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव।

विषय :- एकल निविदा नहीं खोलने के संबंध में।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि प्रायः देखने में आता है कि कार्यपालन अभियंता प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा प्राप्त होने पर भी निविदा खोलकर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं जो कि उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रथम आमंत्रण में यदि निविदा एकल प्राप्त होती है तो वह खोली न जावे तथा मुख्यालय को सूचित करते हुये निविदा पुनः आमंत्रित की जावे।

Barkuo 3/10/13
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
मुख्यालय रायपुर

पृ. क्र. 3558 /अ.आ./नि.शा./13 रायपुर, दिनांक 03/10/2013

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

Barkuo 3/10/13
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
o/c मुख्यालय रायपुर